<u>न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.)</u> (समक्ष-अजय कुमार सिंह)

RCA 600004/2015 Filling No.23201002482015 संस्थित दिनांक 19.02.2015

- 1. नानटिया पिता रतना बारेला, आय्— 37 वर्ष
- 2. मकनिया पिता रूपसिंह बारेला, आयु-47 वर्ष,
- 3. बावज्या पिता रूपसिंह बारेला, आयु-52 वर्ष,
- 4. माया पिता रूपसिंह बारेला, आयु-36 वर्ष,
- काला पिता रतना बारेला, आयु— 52 वर्ष, सभी निवासी— ग्राम पचगांव, तह. बड़वानी जिला बड़वानी म.प्र.।

.....<u>अपीलार्थी</u>

वि रू द्व

- 1. रामसिंह पिता डेमस्या बारेला, आयु-62 वर्ष,
- 2. नानटिया पिता हरला बारेला, आयु–37 वर्ष,
- 3. रामा पिता लट्या बारेला, आयू–59 वर्ष,
- 4. बिहारी पिता लट्या बारेला, आयु—41 वर्ष, सभी निवासी ग्राम—पचगांव, तह. बड़वानी, जिला—बड़वानी म.प्र.।
- म.प्र. शासन तर्फ जिला कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय बडवानी म.प्र.।

....प्रत्यर्थी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बड़वानी (पीठासीन अधिकारी श्री मानवेन्द्र पंवार) द्वारा दीवानी प्रकरण क्रमांक 31ए / 2014 नानटिया पिता रतना बारेला आदि विरूद्ध रामसिंग पिता डेमस्या बारेला आदि, पारित निर्णय दिनांक 21.12.2014 से उद्भुत दीवानी रेग्यूलर अपील।

अपीलार्थी द्वारा	:–श्री भगवान प्रजापति अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 द्वारा	:–श्री एम.जे.शेख अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 5 व 6	:–पूर्व से एकपक्षीय।

<u>निर्णय</u>:— <u>(आज दिनांक 22.01.2018 को घोषित)</u>

1. अपीलार्थींगण की ओर से धारा 96 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत यह अपील द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 जिला बड़वानी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12. 2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय में विचारण न्यायालय के द्वारा

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद को प्रमाणित न पाये जाने के कारण खारिज किया गया है।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलार्थी क. 1 व 5 के पिता रत्ना व अपीलार्थी क. 2, 3 व 4 के पिता रूपिसंग प्रत्यर्थी क. 1 के पिता डेमिसया व प्रत्यर्थी क. 3 व 4 के पिता लिटया व प्रत्यर्थी क. 2 के दादा लिटया के संयुक्त स्वामित्व की कृषिभूमि ग्राम पंचगांव खाता नंबर 20 में दर्ज चली आ रही है।
- अपील को उद्भूत करने वाले व्यवहार वाद का संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी क. 1 व 5 के पिता रत्ना तथा अपीलार्थी क. 2, 3 व 4 के पिता रूपसिंग व प्रत्यर्थी क. 1 के पिता डेमसिया व प्रत्यर्थी क. 3 व 4 के पिता लटिया व प्रत्यर्थी क. 2 के दादा लटिया के संयुक्त स्वामित्व की कृषिभूमि प.इ.नं. 15 खाता क. 20, कुल 30 एकड़ कृषिभूमि वर्ष 1992–93 तक संयुक्त स्वामित्व के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। वर्ष 1992–93 के पश्चात अपीलार्थीगण के पिता एवं प्रत्यर्थी क. 1, 3 व 4 के पिता व प्रत्यर्थी क. 2 के दादा की मृत्यु होने से उभयपक्ष के मध्य पारिवारिक एवं राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा हो गया। उक्त भूमियों में से लगभग 15 एकड़ भूमि का 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थीगण लेकर पृथक हो गये तथा 15 एकड़ कृषिभूमि को राजस्व रिकॉर्ड में उन्होंने अपने नाम करवा ली तथा अपीलार्थीगण के हिस्से में आयी 15 एकड़ भूमि नजरी चूक, अनपढ़ व अशिक्षित होने से अपीलार्थीगण की भूमि में प्रत्यर्थीगण का नाम भी दर्ज रह गया था। अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्से में वर्ष 1992–93 से कब्जे चला आ रहा है। लगभग दो माह पूर्व प्रत्यर्थीगण के मन में बदनीयती आ जाने से बंटवारे के लिये तहसील कार्यालय पाटी के समक्ष पटवारी एवं गिरधावर से मिलीभगत कर बंटवारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तहसील कार्यालय से अपीलार्थीगण को बंटवारे की सूचना प्राप्त हुयी तथा प्रत्यर्थीगण के मध्य उपरोक्त कृषिभूमि का विवाद उत्पन्न हुआ। अपीलार्थीगण के द्वारा तहसील पाटी के समक्ष प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा एवं आधारहीन प्रकरण में सूचनापत्र प्राप्त होने पर धारा 178–2 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जवाब प्रस्तुत किया गया है और बताया है कि पूर्व में एक बंटवारा हो गया है। तहसील के द्वारा जवाब को स्वीकार नहीं किया गया और विवादित कृषिभूमि में प्रत्यर्थीगण का कब्जा दिलाये जाने की मौखिक धमकी दी गयी है, जिसके कारण समयावधि के भीतर विधिवत व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है।
- स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपने जवाब में

वाद—पत्र के अभिवचनों को सारतः अस्वीकार करते हुये विशेष आपित्त में व्यक्त किया है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अविध बाह्य है। वर्ष 1992—93 में हुये बंटवारे का दावा 20 वर्ष बाद प्रचलन योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दावे में वादग्रस्त भूमि की कोई चतुर्सीमा उल्लेखित नहीं की गयी है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद में दिशत वादग्रस्त संपित्त अनसर्वेयर्ड भूमि रही है, जिसकी कोई निश्चित नाप—तौल व भू क्रमांक नहीं है परंतु उक्त संपित्त का जब सर्वे व नाप—तौल हुआ तब वह संपित्त कुल 12 एकड़ पायी गयी थी इसिलये अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त संपित्त लगभग 30 एकड़ होना खंडित है। अपीलार्थीगण के द्वारा वास्तविक पिरिस्थितियां न्यायालय में दिशत नहीं की गयी है, न ही अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपित्थित हुये हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा बदनीयांतीपूर्वक प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व की भूमि में हस्तक्षेप कर हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। अतः अपीलार्थीगण का दावा निरस्त किया जाये और विशेष आर्थिक नुकसान के रूप में 25 हजार रुपये दिलाये जाये।

अपीलार्थीगण की ओर से अपनी अपील में सारतः व्यक्त किया है कि 5. विचारण न्यायालय के द्वारा विधि विधान व साम्य के विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित किया गया है, उसके पश्चात भी विचारण न्यायालय के द्वारा प्रमाणित नहीं माना गया है। बंटवारा मौखिक होना विधिवत मान्य है, उसके पश्चात भी विचारण न्यायालय के द्वारा मौखिक बंटवारे को प्रमाणित नहीं माना गया है। अपीलार्थीगण की ओर से विवादित कृषिभूमि में प्रत्यर्थीगण के प्रकरण चलने के दौरान बंटवारा करवाते हुये 30 एकड़ भूमि में से 15 एकड़ भूमि का नामांतरण कराये जाने व राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रकरण में आदेश के अनुसार कब्जे में रही भू अभिलेख पुस्तिका रूपी दस्तावेज न तो न्यायालय में प्रस्तुत किया है, न ही अपीलार्थीगण की साक्ष्य को खंडित किया है। अपीलार्थी माह दिसंबर 2014 के पूर्व से मजदूरी करने के लिये गुजरात के अंबानगर, जिला राजकोट चले गये थे। उनका कोई स्थायी पता नहीं था इसलिये अधिवक्ता से प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलार्थीगण के द्वारा विधिवत अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

- प्रत्यर्थीगण के द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किया गया है कि विचारण 6. न्यायालय ने अभिलेखगत साक्ष्य तथा विधि का उचित विवेचन करते हुये निर्णय एवं डिकी पारित की गयी है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।
- इस अपील प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न **7**.
 - क्या वादग्रस्त भूमि खाता क्रमांक 20 ग्राम पंचर्गांव, रकबा एकड़ का वर्ष 1992—93 में पारिवारिक बंटवारा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण 1 से 4 के मध्य हो गया था?
 - क्या प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि में अवैधानिक रूप से इस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है?


- विवेचना एवं निष्कर्ष अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 व्य.प्र.सं., दिनांक 18.04.2017 का निराकरण किया जा रहा है।
- अपीलार्थीगण का अपने आवेदन-पत्र में सारतः कथन है कि अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विवादित कृषिभूमि के 1/2 भाग के बंटवारे के उपरांत 15 एकड़ कृषिभूमि अपीलार्थीगण के हिस्से में दी गयी थी और अपीलार्थीगण के पक्ष में भू अधिकार पुस्तिका भी जारी की गयी थी। प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 104, 105 को अपने नाम पर कराने के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण के हिस्से में आयी कृषिभूमि की भू अभिलेख पुस्तिका को प्रस्तुत किये जाने के लिये आदेश 11 नियम 12 व्य.प्र.सं. के तहत आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जानी थी। न्यायहित में असल भू अभिलेख पुस्तिका को ग्राह्य किया जाना आवश्यक है। अतः भू अभिलेख पुस्तिका को अतिरिक्त साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने का आदेश पारित किया जाये।
- जवाब में प्रत्यर्थींगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थींगण के 10. द्वारा प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नीयत से असत्य आधारों पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत

किया गया है, जो कि न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने दावे में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। नये सिरे से अभिवचन कर अपील के दौरान आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अपीलार्थी को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, जो उसके कब्जे में था, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। वर्ष 2008—09 के राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर से जारी है। अपीलार्थी के कब्जे में पूर्व से दस्तावेज थे, कमी—पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है और आवेदन—पत्र निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

- 11. तर्क के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भू अधिकार पुस्तिका को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया है, जो वर्ष 2006 का है, जिसमें भूमि बावजिया पिता रूपिसंग पंचगांव होना दर्शित किया गया है, जो कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित है तथा जो प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आवेदन—पत्र स्वीकार किया जाता है तथा भू—अधिकार पुस्तिका अभिलेख पर ली जाती है।
- 12. प्रत्यर्थीगण को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि वह उक्त दस्तावेज के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हों तो आगामी पेशी दिनांक तक कार्यवाही करें। दस्तावेज के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना इस न्यायालय के द्वारा उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये आगामी पेशी दिनांक को उपस्थित रहें।
- 13. निर्णय के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया। दिनांकित कर पारित किया।

(अजय कुमार सिंह) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बडवानी.म0प्र0

(अजय कुमार सिंह) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी,म0प्र0



निर्णय खुले न्यायालय में घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।